न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, टोंक

(पीठासीन अधिकारीः नित्या के0, आई.ए.एस.)

वाद पत्र सं0 — 111/2019
प्रविष्टि दिनांक — 30.10.2019

उनवान

बसन्ता पुत्र श्री शंकरा जाति हरिजन निवासी ग्राम छान तहसील व जिला टोंक राज0
— वादी

वनाम

तहसीलदार टोंक तहसील कार्यालय टोंक राज0
— प्रतिवादी

उपस्थित—
श्री दौलत राम चौधरी — वकील वादी
श्री अर्जूनलाल मीणा— पैरोकार सरकार

निर्णय

दावा बाबत— गैर खातेदारी से खातेदारी अधिकार दिये जाने

दिनांक— 25/03/2021

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि भूमि खसरा नम्बर 269/2 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा वाके ग्राम अमीरपुरखेडा पटवार हलका छान भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र छान तहसील व जिला टोंक राज0 में स्थित है। जिसका अंकन वर्तमान खाता सं0 267 ग्राम अमीरपुरखेडा तहसील टोंक जमाबन्दी संवत 2071–74 में हो रखा है। उक्त आराजी का वादी गैर खातेदार काबिज काश्तकार मालिक स्वामी है। उक्त भूमि पर वादी का पुराना कब्जा काश्त होने से वादी को भू–आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 16.12.1978 को भूमिहीन कृषक होने से उसे विधिवत रूप से नियमन की गई थी। वादी को उक्त भूमि नियमन होने पर वादी ने नियमन की शर्तो की पालना करते हुए इस भूमि को लगातार काश्त करता रहा है। वादी इस भूमि को काश्त करके अपना व अपने परिवार का पालन पोषण करता आ रहा है। उक्त भूमि वर्तमान में वादी की गैर खातेदारी में अंकित हो रखी है। जबकि वादी इस भूमि पर नियमन की तिथी दिनांक 16.12.1978 से लगातार निर्बाध रूप से बिना किसी रोक टोक के काश्त करता आ रहा है। वादी को उक्त भूमि को काश्त करते हुए 40 वर्ष का समय हो चुका है। परन्तु उक्त भूमि को अभी तक राजस्व कर्मचारियों/अधिकारियों द्वारा वादी की खातेदारी में अंकित नही किया गया है। जबकि नियमन के नियमों के अनुसार वादी का यदि लगातार 10 वर्ष तक भूमि पर कब्जा होता है तो उसे तहत कानून खातेदारी अधिकार स्वतः ही प्राप्त हो जाते है। वादी अपनी उक्त गैर खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि को अपनी खातेदारी में दर्ज करवाये जाने हेतु कई बार राजस्व कर्मचारियों/अधिकारियों के चक्कर लगा चुका है। यहां तक स्वयं तहसीलदार जी से भी कई बार खातेदार अधिकार प्रदान करने हेतु निवेदन कर चुका है। परन्तु आज तक उक्त भूमि को वादी की गैर खातेदारी से खातेदारी में अंकित नही किया गया है। जिससे यह वाद पेश करना आवश्यक हुआ है। उपरोक्त भूमि के सम्बन्ध में ग्रामवासियों ने वादी के हक में हुए नियमन को निरस्त करार दिये जाने हेतु अपील संख्या 24/2012 न्यायालय भू प्रबन्धक अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी टोंक के समक्ष पेश की गई थी। उक्त माननीय राजस्व अपील अधिकारी टोंक ने वादी का इस भूमि पर लगातार कब्जा मानते हुए तथा नियमन शर्तो की पालना वादी द्वारा किये जाने से वादी के हक में हुए नियमन को यथावत रखते हुए अपने निर्णय दिनांक 2.11.2017 के द्वारा जगदीश वगेरहा द्वारा प्रस्तुत की गई अपील को खारिज कर दिया गया है। जिससे भी इस भूमि पर वादी का नियमन की तिथी से लगातार कब्जा काश्त साबित है। जिससे वादी इस भूमि को अपनी खातेदारी में दर्ज करवाने का अधिकारी है। डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी बावत खातेदारी अधिकार

उपखण्ड अधिकारी
टोंक (राज0)

प्रदान करने, पारित फरमायी जाकर भूमि खसरा नम्बर 269/2 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा वाके ग्राम अमीरपुरखेडा तहसील टोंक के खातेदार अधिकार करते हुए उक्त भूमि को राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में वादी की खातेदारी में अंकित कराया जाये। अन्य जो सहायता वादी के हित में हो प्रदान की जाये।

वकील प्रार्थी ने अपने दावे को साबित करने के लिए निम्न दस्तावेजात नकल जमाबन्दी, नकल पटवारी रिपोर्ट, नकल निर्णय तहसीलदार टोंक दिनांक 10.11.1978, नकल दैनिक खरीद, नकल निर्णय आर0ए0ए0 दिनांक 02.11.2017 आदि प्रस्तुत किये, जो शामिल पत्रावली है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिपक्षी की तलबी की गयी। प्रतिपक्षी तहसीलदार टोंक ने राजस्व रिकार्ड के अनुसार जवाब दावा पेश कर निवेदन किया कि दावा अंकित सभी बिन्दुओं को नकारते हुए निवेदन किया कि ग्राम अमीरपुरखेडा के खसरा नम्बर 269/2 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा को खातेदारी बाबत दावा किन विहित प्रावधानों के अन्तर्गत है। वादपत्र में उल्लेख नही होने, नियमन आदेश में आरक्षित मूल्य गैर खातेदार द्वारा जमा नही कराये जाने से नियमन शर्तो की पूर्ण पालना नही होने से वाद खारिज योग्य है।

वादी ने अपने पक्ष में पीडब्ल्यू–1 बसन्ता पुत्र श्री शंकरा का शपथ–पत्र पेश किये। जो शामिल पत्रावली किये गये।

हमने लायक वकील उभय पक्ष की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य, दस्तावेजो का अध्ययन किया। वादीया उसके नाम गैरखातेदारी में दर्ज वादग्रसत भूमि खसरा 269/2 वाके ग्राम अमीरपुराखेडा की अपने नाम से खातेदारी घोषणा करवाना चाहती है जिसके लिए उसने दावा न्यायालय हाजा में पेश किया है। वादपत्र के साथ न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी टोंक के निर्णय दिनांक 02.11.2017 की प्रति पेश की है जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा आवंटन की अपील यह कहते हुए खारिज की गयी है कि आवंटन की अपील जिला कलेक्टर न्यायालय में की जानी चाहिए। दौराने बहस वकील वादी ने नजीर आरआरडी–14.11.2014 पृष्ट सं. 740–745 पेश की है जो इस प्रकरण पर लागू नहीं होती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि वादीया को आवंटित हुयी है, गैरखातेदारी से खातेदारी अधिकार के लिए निर्धारित प्रपत्र में तहसीलदार टोंक के समक्ष आवेदन किया जाना चाहिए, तहसीलदार द्वारा आवंटन शर्तो की पालना की जांच करने एंव निर्धारित शुल्क राजकोष में जमा कर नियमानुसार खातेदारी दिये जाने की अभिशांषा के साथ प्रकरण उपखण्ड अधिकारी को प्रेषित किया जाना है ओर उपखण्ड अधिकारी तहसीलदार की अभिशंषा के आधार पर गैरखातेदारी से खातेदारी के नियमानुसार आदेश प्रदान करेगा। वादिया निर्धारित प्रकिया नहीं अपनाकर सीधे ही तहसीलदार को पार्टी बनाकर खातेदारी चाहती है जो विधि विरूद्ध होने से स्वीकार योग्य नहीं है।

आदेश

अतः वादिया का दावा बाबत–गैरखातेदारी से खातेदारी घोषणा विधि विरूद्ध होने से खारिज किया जाता है। वादिया को निर्देशित किया जाता है कि तहसीलदार टोंक को गैरखातेदारी से खातेदारी प्रदान किये जाने हेतु निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र पेश करें तथा तहसीलदार टोंक उक्त आवेदन पत्र की जांच कर एक माह की अवधि में नियमानुसार निस्तारण कर न्यायालय को अवगत करावें। पत्रावली फैसलशुमार होकर नंबर से कम की जाकर, दाखिल दफ्तर की जावे।

निर्णय आज दिनांक 26/03/2021. को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी टोंक (राज.)

(नित्या के0)
उपखण्ड अधिकारी, टोंक

डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत **उपखण्ड अधिकारी, टोंक**

मुकाम **टोंक** व अलजाम **श्री नित्या के0 आई.ए.एस. द्वारा अध्याशित**

उनवान

बसन्ता पुत्र श्री शंकरा जाति हरिजन निवासी ग्राम छान तहसील व जिला टोंक राज0

— वादी

बनाम

तहसीलदार टोंक तहसील कार्यालय टोंक राज0

— प्रतिवादी

उपस्थित—

श्री दौलत राम चौधरी — वकील वादी
श्री अर्जूनलाल मीणा— पैरोकार सरकार

दावा बाबत— गैर खातेदारी से खातेदारी अधिकार दिये जाने

प्रकरण संख्या—111/2019

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू **उपखण्ड अधिकारी, टोंक** व हाजरी **वकील वादी** मिनजामिन मुद्दई पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री जारी जाती है कि

अतः वादिया का दावा बाबत—गैरखातेदारी से खातेदारी घोषणा विधि विरूद्ध होने से खारिज किया जाता है। वादिया को निर्देशित किया जाता है कि तहसीलदार टोंक को गैरखातेदारी से खातेदारी प्रदान किये जाने हेतु निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र पेश करें तथा तहसीलदार टोंक उक्त आवेदन पत्र की जांच कर एक माह की अवधि में नियमानुसार निस्तारण कर न्यायालय को अवगत करावें।

बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज तारीख 26/03/2021 को जारी किया गया।

मोहर

(नित्या के0)
उपखण्ड अधिकारी, टोंक

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प वकालत नामा		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्तनामा वकील		
महन्तनामा वकील			खर्चा गवाहन		
खर्चा गवाहन			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिंक		
मुतफरिंक					
मीशान			मिजान		

नोटः—इसी खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा पर दो फरीकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया हो या नही दर्ज करना चाहिए।